न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 63/2024

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2024/332

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		1. मोनिस अंसारी पुत्र मोहम्मद अनीस अंसारी, निवासी 39 नाड़ी मोहल्ला पाली शहर, जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 19/02/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश, 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा 12 सिलेण्डर मय एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्यूलेटर नली को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 19.09.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह श्री तेजसिंह मेडतिया, श्री जितेन्द्रसिंह आशिया संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान नवलखा जैन मंदिर के सामने एक प्रतिष्ठान पर पहुंचे। मौके पर मोनिस अंसारी पुत्र मोहम्मद अनीस अंसारी उपस्थित मिले, जिन्होंने खुद को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान मोहम्मद नदीम निवासी पाली शहर की उपस्थिति में प्रतिष्ठान में जांच के दौरान 05 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) एचपी कम्पनी तथा 07 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (19 किग्रा) एवं 1 गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्यूलेटर नली पायी गयी, जिससे अवैध रूप से सिलेण्डरों का भण्डारण, रिफलींग एवं बेचान की पुष्टि होती है। अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस सलेण्डर के अवैध रूप से भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री किये जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गैस सर्विस, पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	19.500	16.000	3.500	437894
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	15.700	15.700	0.000	322830
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	16.000	15.900	0.010	040523
4	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	15.700	15.700	0.000	306545
5	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPC	14.200	23.600	15.600	8.000	965913
6	व्यावसायिक गैस सिलेण्डर	IOCL	19.000	30.000	19.000	11.000	4066
7	व्यावसायिक गैस सिलेण्डर	IOCL	19.000	19.500	19.500	0.000	025481
8	व्यावसायिक गैस सिलेण्डर	IOCL	19.000	19.400	19.400	0.000	090980
9	व्यावसायिक गैस सिलेण्डर	IOCL	19.000	37.300	19.100	18.200	005916
10	व्यावसायिक गैस सिलेण्डर	IOCL	19.000	19.000	19.000	0.000	77580
11	व्यावसायिक गैस सिलेण्डर	IOCL	19.000	19.600	19.600	0.000	020538
12	व्यावसायिक गैस सिलेण्डर	IOCL	19.000	19.000	19.000	0.000	141611
एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्यूलेटर नली							

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मोहन प्रजापत पुत्र गुलाबचंद पाली शहर हाल प्रतिनिधि मैसर्स पाली गैस सर्विस पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 12 गैस सिलेण्डरों एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्युलेटर नली को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन अधिकारी पाली द्वारा जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के परिचितो के है जिसे उनकी फर्म में भरवाने के लिए रखे थे। जिनका व्यवयायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था, उपरोक्त प्रकरण मिथ्या एवं झुठा है। अतः हस्तगत प्रकरण विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमाकर प्रार्थी द्वारा जब्त गैस सिलेण्डर मय इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्युलेटर नली अप्रार्थी को लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान नवलखा जैन मंदिर के सामने, पाली पर घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान मोहम्मद नदीम निवासी पाली शहर की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में कुल 12 गैस सिलेण्डर (5 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर) पाये गये, जिनका अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री की जा रही थी। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री की जा रही थी, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त 12 गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं जब्तशुदा 12 गैस सिलेण्डर एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटय मय रेग्यूलेटर नली को मैसर्स पाली गैस सर्विस, पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवसं विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 12 गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग (भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री) किए जाने पर जब्तसुदा गैस सिलेण्डरो के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 12 गैस सिलेण्डरों को मय गैस एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटय मय रेग्यूलेटर नली राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 86(8)खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटय मय रेग्यूलेटर नली के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली